न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 36/2007 G.C.M.S. No. 2007/00014 दर्ज दिनांक : 03.05.2007

अपीलार्थिगण:

1. बद्रीदास पुत्र लालदासजी के कायम मुकाम:–
   अ. घनश्यामदास पुत्र बद्रीदासजी
   ब. रामकिशन पुत्र बद्रीदासजी
   स. रूपदास पुत्र बद्रीदासजी
   द. भगवानदास पुत्र बद्रीदासजी
   य. बक्तावरीदेवी बेवा बद्रीदासजी
   समस्त जातिगण साद, निवासीगण खारीयानींव, तहसील सोजत, जिला पाली।
2. जोराराम पुत्र हुकमाराम सिरवी के कायम मुकाम:–
   अ. भीकाराम पुत्र जोराराम
   ब. नारायणलाल पुत्र जोराराम
   स. मदनलाल पुत्र जोराराम
   द. ओमप्रकाश पुत्र जोराराम
   य. भंवरीदेवी पुत्री जोराराम
   र. गीतादेवी पुत्र जोराराम
   ल. तुलसीदेवी बेवा जोराराम
   समस्त जातिगण सीरवी, निवासीगण खारीयानींव, तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

मंदिर श्री राणावंतजी बएतनाम

1. लक्ष्मीकिशन पुत्र श्रीकिशन
2. देवीकिशन पुत्र श्रीकिशन
3. पुरूषोतम पुत्र देवीकिशन
4. प्रेमकिशन पुत्र देवीकिशन
5. महेन्द्रकिशन पुत्र देवीकिशन
6. यादवेन्द्रकिशन पुत्र देवीकिशन
7. अरविंदकिशन पुत्र देवीकिशन
8. कमलकिशन पुत्र देवीकिशन
9. विजयकिशन पुत्र पुरूषोतम
10. अनिलकिशन पुत्र पुरूषोतम
11. मालीन्दकिशन पुत्र प्रेमकिशन
12. गवरी बेवा रामकिशन
13. रामचन्द्र पुत्र मनोहरलाल
    समस्त जातिगण वस्तु ब्राह्मण, निवासीगण मेहरों का चौक, जोधपुर, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर
14. गुलु खां के कायम मुकाम:–
    अ. फतेह खां पुत्र गुलु खां

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

ब. शकुरखां पुत्र गुलु खां
स. रूपा खां पुत्र गुलु खां
द. दाउ खां पुत्र गुलु खां (फौत लाऔलाद) (विलोपित)
समस्त जाति मुसलमान तेली, निवासी खारीयानींव तहसील सोजत जिला पाली।

15. ओमप्रकाश पुत्र मनोहरलाल पौत्र रामकृष्णजी, जाति साध, निवासी राणावतजी का मंदिर, मकाराना मोहल्ला, जोधपुर।
16. भूमिधारी तहसीलदार सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2003 बअनवान मंदिर श्री राणावंतजी बएतनाम लक्ष्मीकृष्ण वगैरह बनाम बद्रीदास वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2006 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित– 1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव, श्री कल्याणनाथ विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री सलीम खां विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांकः 28.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2003 बअनवान मंदिर श्री राणावंतजी बएतनाम लक्ष्मीकृष्ण वगैरह बनाम बद्रीदास वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2006 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 11 ने एक राजस्व वाद घोषणा खातेदारी व कब्जा प्राप्ति करने हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया, कि मौजा गांव खारीयानींव के खसरा नं. 85, 87, 88 एवं 89 एवं खसरा नं. 86 गैर मुमकिन बेरा कुल 117 बीघा 4 बिस्वा भूमि बेरा धायलावाला मय जाये जाव जो मौजा गांव खारीयानींव में स्थित है। इसके संबन्ध में रेस्पोंडेण्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 18.9.70 को पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया और सम्मन की तामिल पर प्रतिवादीगण अपीलाण्टगण संख्या 1 व 2 बद्रीदास व जोजाराम ने अपना जवाब दावा पेश किया और निवेदन किया कि खसरा नं. 85, 86, 87 व 89 जिसका कुल रकबा 117 बीघा 4 बिस्वा भूमि जो मौजा गांव खारीयानींव में आई हुई है। इस भूमि पर कब्जा काश्त बद्रीदास व जोराराम का सम्वत 2012 के पूर्व से कब्जा काश्तकाश्त जा रहा है। इस प्रकार दावे का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जवाब दावा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी अपीलाण्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

ने एक प्रार्थनापत्र दिनांक 13.4.72 को आदेश 6 नियम 5 का पेश किया, जिसका जवाब वादीगण ने नहीं दिया और उक्त प्रार्थनापत्र का निर्णय दिनांक 15.11.72 को यह कहते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया और वाद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस प्रकार रेस्पोडेण्टस प्रतिवादीगण ने बेटर पर्टिकुलर पेश ही नहीं किये, फिर भी उक्त वाद के आगे कार्यवाही आरम्भ कर दी गई। इस प्रकार उक्त वाद दिनांक 19.5.1999 को अदमहाजरी अदम पैरवी में भी खारिज कर दिया, परन्तु पुनः वाद बरामद कर दिया, यह कहते हुए कि आदेश पत्रावली 56/99 में लिखा हुआ है, 56/99 नम्बर की कोई पत्रावली ही नहीं थीं। उक्त वाद में वाद की कार्यवाही चलते वक्त बद्रीदास पुत्र लालदास व बोटाराम पुत्र मुकमाराम इन दोनों का स्वर्गवास हो गया जिनके कायम मुकाम की कोई कार्यवाही वादीगण ने नहीं कीं। अधिनस्थ न्यायालय ने जो वाद डिक्री किया है, वह मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध किया है। वाद अबेट हो चुका था, फिर भी वादीगण का वाद स्वीकार कर विधिविरूद्ध डिक्री पारित की हैं। जोकि न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। चूंकि जो वाद मौजा गांव खारीयानींव के खसरा नं 85, 86, 87 व 89 जिसका कुल रकबा 117 बीघा 4 बिस्वा है। इसके नये नम्बर 274, 275, 276, 277 व 278 व 279 यानी कि कुल 6 खसरा बने हैं, जिसका कुल रकबा 20.5500 है. भूमि है। इस भूमि पर स्वर्गीय बद्रीदास, जोराराम व रिमझु खां तेली का कब्जाकाश्त सम्वत 2012 से आजदिन तक लगातार चला आ रहा है, काबिज है व काश्त करते आ रहे हैं। वाद में अपीलाण्टगण के पिता ने अपना जवाब दावा दिया और दावा व जवाबदावा के आधार पर कुल 10 तनकियात बनाई गई। परन्तु तनकीयात के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई शहादत पेश नहीं हुई। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित की हैं, वह निरस्त योग्य है। जब प्रतिवादीगण अपीलाण्टगण के पिता ने आदेश 6 नियम 5 जो प्रार्थनापत्र पेश किया, उस प्रार्थनापत्र का निर्णय प्रार्थनापत्र स्वीकार किया और दावे की कार्यवाही स्थगित की गई। यह कहते हुए की फर्दर पर्टिकुलर पेश करें, जो वादीगण ने पेश नहीं किये और दावे की आगे कार्यवाही कर दी गई। इस आधार पर भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। जब दावा दिनांक 19.5.99 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया, तो दावा दिनांक 8.9.03 को आदेशिका में दावा पुनः नम्बर पर लेने का आदेश दिया जा चुका था, जो पत्रावली 56/99 में दिया गया है, जबकि दावा वर्ष 1999 में खारिज हुआ, तीन साल पश्चात् बरामद किया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं हैं और यह कौनसी पत्रावली हैं, इसके बारे में भी कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उल्लेख नहीं हैं। उक्त वाद में प्रतिवादी बद्रीदास का स्वर्गवास दिनांक 8.2.97 को हो गया और प्रतिवादी जोतराम का भी स्वर्गवास हो गया। इन दोनों के कायम मुकाम की कोई कार्यवाही नहीं की और मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध दावा डिक्री किया, जो विधि अनुसार शून्य है। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त योग्य है। वादीगण का कर्तव्य था कि कायम मुकाम की कार्यवाही करते। जबकि कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादीगण ने कोई शिकायत पेश नहीं की थीं, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया, जबकि बिना शहादत के व बिना गवाह के वाद साबित ही नहीं हुआ, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जो वाद स्वीकार किया है वह विधि व विधान के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल मात्र वाद पेश किया, अपने बाद के समर्थन में कोई शहादत पेश नहीं की। जबकि तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण का था, वादीगण ने कोई तनकियात साबित नहीं की और न अपनी शहादत पेश की। जबकि शहादत के लिए कई अवसर दिये गये, फिर भी वादीगण का वाद स्वीकार किया गया है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय ने जो निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.06 को पारित की हैं, उसमें वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण अपीलाण्टगण का सम्वत 2012 से शांतिपूर्ण तरीके से चला आ रहा है। जबकि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में केवल कब्जा लेने की म्याद 12 वर्ष है जो समाप्त हो चुकी हैं। इस आधार पर भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित की गई हैं। क्योंकि दावे में प्रतिवादी बद्रीदास व जोराराम आवश्यक पक्षकार है। इनके कायम मुकाम को बनाना कानूनन आवश्यक है, इस आधार पर भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.06 के निर्णय की जानकारी अभी हाल ही में तब हुई, जब हल्का पटवारी ने आकर बद्रीदास के लड़के व जोताराम के लड़कों को कहा कि तुम्हें बेरे का कब्जा छोडना पडेगा, क्योंकि एस.डी.ओ. कोर्ट सोजत की डिक्री की नकल मेरे पास आई है, तब इन खास लोगों ने कहा कि हमारे इस बेरे का तो कोई मुकदमा नहीं चल रहा है तो पटवारी ने डिक्री की नकल बताई और कहा कि तुम्हारें पिता के विरूद्ध डिक्री हैं। इस पर अपीलाण्टगण सोजत आये और पता किया तो पता चला कि रेस्पोंडेण्ट्स ने कोई दावा किया, उसका निर्णय हमारे पिताजी के खिलाफ हो गया और नकल हेतु आवेदन किया और नकल प्राप्त कर सोजत में वकील साहब से मिले तो वकील साहब ने कहा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

की इसकी अपील पाली में होगी। तत्पश्चात उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने निम्नलिखित न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की:–

1. 2015 (1) RRT 868 Tara v/s state of rajasthan
2. 2024 (1) RRT 437
3. 2012 (2) RRT 860
4. 2013 DNJ 185 (SC)
5. 2013 (2) RRT 942 (SC)
6. 2023 (2) RRT 1279

हमनें विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन–अवलोकन किया एवं प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 11 द्वारा अपीलांट्स एवं दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व बेदखली हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2006 द्वारा स्वीकार कर मंदिर श्री राणावत जी के नाम वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की घोषणा व प्रतिवादीगण की बेदखली का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 03.05.2007 को विलंब से प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.06 के निर्णय की जानकारी अभी हाल ही में तब हुई, जब हल्का पटवारी ने आकर बद्रीदास के लड़के व जोताराम के लड़कों को कहा कि तुम्हें बेरे का कब्जा छोडना पडेगा, क्योंकि एस. डी.ओ. कोर्ट सोजत की डिक्री की नकल मेरे पास आई है, तब इन खास लोगों ने कहा कि हमारे इस बेरे का तो कोई मुकदमा नहीं चल रहा है तो पटवारी ने डिक्री की नकल बताई और कहा कि तुम्हारें पिता के विरूद्ध डिक्री हैं। इस पर अपीलाण्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सोजत आये और पता किया तो पता चला कि रेस्पोंडेण्ट्स ने कोई दावा किया, उसका निर्णय हमारे पिताजी के खिलाफ हो गया और नकल हेतु आवेदन किया और नकल प्राप्त कर सोजत में वकील साहब से मिले तो वकील साहब ने कहा की इसकी अपील पाली में होगी।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स के पिता बतौर प्रतिवादी पक्षकार थें, जिनके बावजूद तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा बाद में पक्षकार फौत हो गए एवं अपीलांट्स उनके वारिसान है। अतः यह सहज धारणा की जा सकती हैं कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलांट्स को निर्णय दिनांक से जानकारी नहीं रही हैं। हमारे विनम्र मत में प्रकरण को कठोर तकनीकी प्रक्रियात्मक आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल सद्भाविक, युक्तियुक्त एवं समुचित है। लिहाजा, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में यह उज्र लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी बद्रीदास पुत्र लालदास व जोराराम पुत्र हुकमाराम का स्वर्गवास हो गया था। जिनके कायम मुकाम की कार्यवाही वादीगण ने नहीं की एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं, जो काबिल अपास्त है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा बहस के दौरान अपीलांट के उक्त उज्र का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि विचारण के दौरान प्रतिवादीगण के अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः बावजूद सूचना अनुपस्थित पक्षकारान की मृत्यु की दशा में कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा इस संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 (4) के विधिक प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस संबंध में उपर वर्णित न्यायिक नजीर संख्या 3 से 5 प्रस्तुत की।

4. हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 (4) एवं उपर वर्णित न्यायिक नजीर संख्या 3 से 5 का भलीभांति अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की समुचित तामील उपरांत विचारण के दौरान अनुपस्थिति व एकपक्षीय कार्यवाही हुई हैं तथा एकपक्षीय कार्यवाही उपरांत मृत्यु हुई हैं। अतः ऐसी स्थिति में वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हैं एवं इससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक रूप से दूषित नहीं मानी जा सकती। अतः अपीलांट्स का यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

5. अपीलांट्स द्वारा यह उज्र लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक कायम किए गए, लेकिन विवाद्यकवार साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो विधिविरूद्ध होने से काबिल अपास्त है, के संबंध में हमारा विनम्र अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जवाबदावा लेकर दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 की पूर्ण पालना होना जाहिर होती हैं। अतः अपीलांट्स का यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि भूप्रबंध पूर्व से मंदिर श्री राणावतीजी के नाम की खुदकाश्त भूमि रही हैं। अर्थात वादग्रस्त आराजी भूप्रबंध पूर्व से ही शाश्वत नाबालिग देवभूमि रही हैं तथा मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त भूमियों के संबंध में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी अधिकारों का न तो सृजन हो सकता है व न हस्तांतरण हो सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जा सकती हैं। शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति की संपत्तियों का किया गया समस्त हस्तांतरण शाश्वत नाबालिग के हितों के विरूद्ध आरंभतः शून्य होता है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तारा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य आर.आर.टी. 2015 (2) 868 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 द्वारा यह अंतिम रूप से अभिनिर्धारित किया है कि "25. In our opinion, on the aforesaid settled principles of law, the Hindu idol (deity) could only hold such lands in Jagir, which Shebait/Pujari was cultivating for such deity, having direct nexus with agricultural operations either themselves or through hired labour or servant engaged by them as to claim to be khudkasht and to be protected from resumption/acquisition under the Jagirs Act of 1952. If the land was given for cultivation to a tenant or was cultivated through a tenant, such land became khatedari of the

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

tenant and on which the tenant had direct relations with the State. The Jagirs Act of 1952 took away all the rights of the Jagirdars including Hindu Idol (deity) as Dolidar or Muafidar on the land cultivated by the tenants. They ceased to have any right on such land. The Shebait/Pujari could not have any independent status to have claimed any right over such land cultivated by tenants. Such tenancy could also not be regarded as sub-tenant of Hindu Idol (deity) to confer any right on the Hindu Idol (deity).

26. In view of the above discussion, we decide the question no. (i) in favour of the State and against the Shebait/Pujari claiming the land to be saved by the Jagirs Act of 1952. The land held in Jagir by Hindu idol (deity) as Dolidar or Muafidar cultivated by a person other than the Shebait/Pujari of the deity personally or by hired labour or servants engaged by its Shebait/Pujari as a tenant of the deity, shall vest in the State, after the Jagirs Act of 1952. The Hindu idol (deity), even if it is treated to be a perpetual minor, could not continue to hold such land. Such land cannot be treated to be in its personal cultivation. A tenant of such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the State. Such land under the tenancy of a person other than Shebait/Purjari of Hindu Idol (deity) became khatedari land of such tenant. The name of Hindu Idol (deity) from such land had to be expunged from the revenue records with Shebait/Pujuri having no right to claim the land as Khatedar. Consequently, they had no right to transfer such lands, and all such transfers have to be treated as null and void, in contravention of the Jagirs Act 1952, and the land under such transfers to be resumed by

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

the State." माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त विनिश्चय हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होता है।

7. अपीलांट द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि वादपत्र धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कब्जा प्राप्त करने के संबंध में भी था तथा इस संबंध में म्याद 12 वर्ष हैं, जो समाप्त हो चुकी हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया है, के संबंध में हमारा यह विनम्र मत है कि वादग्रस्त आराजी शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त खातेदारी भूमि होने से म्याद का विषय इस संबंध में अप्रासंगिक हो जाता है। अतः अपीलांट का यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति की भूमियों पर से अतिक्रमियों की बेदखली के लिए धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण मुक्त किए जाने के लिए समय–समय पर निर्देशित किया गया है। अतः इस संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा किसी भी समय अतिक्रमियों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा सकती हैं।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह भी संज्ञान में आया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा स्वयं को मंदिर श्री राणावतीजी के बएतमाम की हैसियत से वादपत्र प्रस्तुत किया गया था तथा वादपत्र में खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादीपक्ष एवं प्रतिवादी संख्या 4 में किये जाने व प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 को दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2006 द्वारा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया। इस संबंध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक/प.2(4)/राज.–4/98/37 दिनांक 31.12.1991 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.11.2011 द्वारा मंदिर मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए यह स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाने वाली जमाबंदी में देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जावें। प्रशासनिक सुविधा के लिए मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर निर्धारित प्रारूप में एक रजिस्टर संधारित किया जावें, जिसमें मंदिरों की कृषि भूमि व उनके पुजारियों का नाम अंकित किया जावें। पूर्व में बनी जमाबंदियों में देवमूर्ति के साथ जहां–जहां पुजारी का नाम आया है, नाम विलोपित कर दिया जावें तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावें। अतः हमारे विनम्र मत में इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री इसी मुताबिक संशोधित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

स्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

9. हमारा यह भी विनम्र मत है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिंदु संख्या 5 में यह विनिर्धारित किया गया है कि ***मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे कि जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मंदिर मूर्ति की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्वकर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करवायेंगे।*** अतः हमारे विनम्र मत में इसी अनुरूप संबंधित तहसीलदार को अपेक्षित कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया जाना विधिसंगत व उचित होगा।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री "मंदिर श्री राणावतीजी बएतमाम पुजारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4" में से "बएतमाम पुजारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 वाक्य को विलोपित करते हुए" संशोधित डिक्री जारी किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2006 में अंकित वाक्य "मंदिर श्री राणावतीजी बएतनाम पुजारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4" में से वाक्य "बएतनाम पुजारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4" को विलोपित करते हुए प्रकरण में पैरा संख्या 8 व 9 में वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार सोजत को निर्देशित करते हुए इसी अनुरूप वादपत्र संशोधित रूप से निर्णित व डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सोजत को निर्देशित किया जाता है कि शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री राणावतीजी की वादग्रस्त आराजी तहसील सोजत के ग्राम खारीयानींव के खसरा संख्या 274, 275, 276, 277, 278, 279 कुल किता 6 कुल रकबा 20.5500 हैक्टेयर पर से अतिक्रमियों को अविलंब बेदखल कर देवभूमि को सुरक्षित व संरक्षित करें। जिला कलक्टर पाली एवं तहसीलदार सोजत को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

इसी अनुरूप पर्चा डिक्री मुर्तिब हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब सीगे अपील

(आदेश 41 नियम 35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

बइजलास डॉ. भास्कर बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या : 36/2007 G.C.M.S. No. 2007/00014 दर्ज दिनांक : 03.05.2007

अपीलार्थिगण:

1. बद्रीदास पुत्र लालदासजी के कायम मुकाम:–
   अ. घनश्यामदास पुत्र बद्रीदासजी
   ब. रामकिशन पुत्र बद्रीदासजी
   स. रूपदास पुत्र बद्रीदासजी
   द. भगवानदास पुत्र बद्रीदासजी
   य. बक्तावरीदेवी बेवा बद्रीदासजी
   समस्त जातिगण साद, निवासीगण खारीयानींव, तहसील सोजत, जिला पाली।
2. जोराराम पुत्र हुकमाराम सिरवी के कायम मुकाम:–
   अ. भीकाराम पुत्र जोराराम
   ब. नारायणलाल पुत्र जोराराम
   स. मदनलाल पुत्र जोराराम
   द. ओमप्रकाश पुत्र जोराराम
   य. भंवरीदेवी पुत्री जोराराम
   र. गीतादेवी पुत्र जोराराम
   ल. तुलसीदेवी बेवा जोराराम
   समस्त जातिगण सीरवी, निवासीगण खारीयानींव, तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

मंदिर श्री राणावंतजी बएतनाम

1. लक्ष्मीकिशन पुत्र श्रीकिशन
2. देवीकिशन पुत्र श्रीकिशन
3. पुरूषोतम पुत्र देवीकिशन
4. प्रेमकिशन पुत्र देवीकिशन
5. महेन्द्रकिशन पुत्र देवीकिशन
6. यादवेन्द्रकिशन पुत्र देवीकिशन
7. अरविंदकिशन पुत्र देवीकिशन
8. कमलकिशन पुत्र देवीकिशन
9. विजयकिशन पुत्र पुरूषोतम
10. अनिलकिशन पुत्र पुरूषोतम
11. मालीन्दकिशन पुत्र प्रेमकिशन
12. गवरी बेवा रामकिशन
13. रामचन्द्र पुत्र मनोहरलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

समस्त जातिगण वस्तु ब्राह्मण, निवासीगण मेहरों का चौक, जोधपुर, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर

14. गुलु खां के कायम मुकाम:–
    अ. फतेह खां पुत्र गुलु खां
    ब. शकुरखां पुत्र गुलु खां
    स. रूपा खां पुत्र गुलु खां
    द. दाउ खां पुत्र गुलु खां (लाऔलाद फौत) (विलोपित)
    समस्त जाति मुसलमान तेली, निवासी खारीयानींव तहसील सोजत जिला पाली।
15. ओमप्रकाश पुत्र मनोहरलाल पौत्र रामकृष्णजी, जाति साध, निवासी राणावतजी का मंदिर, मकाराना मोहल्ला, जोधपुर।
16. भूमिधारी तहसीलदार सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2003 बअनवान मंदिर श्री राणावंतजी बएतनाम लक्ष्मीकृष्ण वगैरह बनाम बद्रीदास वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2006 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुरेन्द्र वैष्णव, श्री कल्याणनाथ विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स तथा श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री सलीम खां विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2006 में अंकित वाक्य "मंदिर श्री राणावतीजी बएतनाम पुजारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4" में से वाक्य "बएतनाम पुजारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4" को विलोपित करते हुए प्रकरण में पैरा संख्या 8 व 9 में वर्णित निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार सोजत को निर्देशित करते हुए इसी अनुरूप वादपत्र संशोधित रूप से निर्णित व डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सोजत को निर्देशित किया जाता है कि शाश्वत नाबालिग मंदिर श्री राणावतीजी की वादग्रस्त आराजी तहसील सोजत के ग्राम खारीयानींव के खसरा संख्या 274, 275, 276, 277, 278, 279 कुल किता 6 कुल रकबा 20.5500 हैक्टेयर पर से अतिक्रमियों को अविलंब बेदखल कर देवभूमि को सुरक्षित व संरक्षित करें। बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज दिनांक **28.02.2025** को जारी किया गया।

मुहर अदालत

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक					
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned with OKEN Scanner